निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email - commissionersec@gmail.com
Ph.No. - 0755-2555527

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

क्रमांक एफ–52 / NN–01 / 2018 / तीन / 239 भोपाल, दिनांक 16 / 03 / 2018

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : नगरपालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु संशोधित प्रक्रिया।
Subject : Revised Process of Annual revision 2018 of Photo Electoral Roll for Municipalities.

––00––

1. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–14, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–8 के प्रावधानों के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना है।

2. वर्ष 2016 और 2017 के वार्षिक पुनरीक्षण में कतिपय जिलों में मतदाता सूची तैयार करने में कुछ मानवीय और तकनीकी त्रुटियाँ हुई थी। त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS (Electoral Roll Management System) में वर्ष 2018 के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किये है :–

   - परिसीमन सम्बंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जायेगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिफ्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया है।
   - विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत् प्रतिशत मार्किंग का प्रावधान किया गया है। शत् प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं हो सकेगी।
   - प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
   - डिजिटल हस्ताक्षर से दावे आपित्तयों के निराकरण हेतु समयसीमा बढ़ाई जा रही है। समय की कमी के कारण विगत वर्षों में कुछ रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध डी.एस.सी. डोंगल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को सौंप दिये जाने के मामलें प्रकाश में आये है।
   - अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
   - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए डेशबोर्ड तैयार किया गया है। कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डेशबोर्ड से रियल टाईम पर पुनरीक्षण सम्बंधी की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सकेगी।

1. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018 का कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। पुनरीक्षण सम्बंधी विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी और अन्य सभी सम्बंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, म.प्र. को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन वर्ष 2016 में किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।
3. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में प्रत्येक नगरपालिका की वार्डवार दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है।
4. समस्त नगरपालिकाओं की दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
   - **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
   - **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका वार्ड में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
   - **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

प्रथम चरण
कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन

5. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट **(सेम्पल संलग्न–1 अनुसार)** प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में नगरपालिका, वार्ड और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।
6. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।
7. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।
8. यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।
9. वर्ष 2016 और 2017 में हुए पुनरीक्षण में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतों के नगरपालिका में शामिल होने के उपरांत भी सम्बंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त पंचायतों की कंट्रोल टेबल को अपडेट नहीं किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को कंट्रोल टेबल को अपडेट कर आवश्यकतानुसार मतदाताओं को डिलीट करने अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) से शिफ्ट (Import) कराने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) से समन्वय करते हुए उचित कार्यवाही इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि न तो मतदाताओं की डुप्लिकेट शिफ्टिंग हो और न ही कुछ मतदाता शिफ्टिंग के स्थान पर डिलीट हो जायें।

10. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जेनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

द्वितीय चरण
विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

11. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :–
    - i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट करना.
    - ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018) में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2017) में सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करना.
    - iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018) में विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2017) के सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड से हटाना.
    - iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2017) में यथासंशोधित करना.
    - v. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।
    - vi. फोटोरहित जेनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।
    - vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
    - viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं नगरपालिका स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
    - ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।
12. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को, विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018 की स्थिति) की 02 प्रतियाँ निःशुल्क प्रदाय की जाती है। उक्त प्रतियाँ यथा समय निःशुल्क प्राप्त कर ली जाये। उक्त निःशुल्क प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति नगरपालिका निर्वाचन के मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

13. वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) **(सेम्पल संलग्न–2 अनुसार)** प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।
14. शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर की मार्किंग करने के लिए रिक्त ख़ाने बने हुए है।
15. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के ख़ाने में नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर दर्ज करेगा।

16. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

17. शिफ्टिंग सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।

18. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन

19. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल संलग्न–3 अनुसार)** प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

20. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

21. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

22. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में नगरपालिका की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और नगरपालिका की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

23. **यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से नगरपालिका की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।**

24. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

25. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।

26. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन

27. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल संलग्न–4 अनुसार)** प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
28. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।
29. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
30. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
31. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।
32. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

33. शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जेनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।
34. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
35. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते है। इन क्षेत्रों में भी शिफ्टिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
36. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

37. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो–दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–78 और 82 सीधी–सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–167 आगरमालवा–शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–193 झाबुआ–अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–23 शिवपुरी–दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिफ्टिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना

38. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति वार्ड न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक वार्ड में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते है।

39. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी। यदि शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा।

40. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़रअंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।

41. ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाईट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने और उसे वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।

42. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–4(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **संलग्न–5** में निर्धारित प्ररूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्केन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

43. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और नगरपालिका स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला मुख्यालय की नगरपालिका के सदस्यों और अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी बुलाया जाये। नगरपालिका स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के नगरपालिका स्तर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नगरपालिका के सदस्यों को भी बुलाया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

तृतीय चरण
प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

44. दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये है। उक्त सभी आवेदनपत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि पूर्व प्रचलित प्ररूपों क, ख, ग और घ में भी दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदनपत्र प्राप्त होते है तो इस वर्ष उन्हें भी विचारण में लिया जायेगा।

45. प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (संलग्न–6)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम नगरपालिका की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

46. **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व ही करा ली जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

47. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (संलग्न–7)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :–
    i. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।
    ii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है।
    iii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।

48. मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची **(डुप्लिकेट सूची)** के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :–

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना पंचायत के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

49. मतदाता सूची का पुनरीक्षण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अतः डुप्लिकेट मतदाताओं के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विविध मद बी–121 में प्रकरण दर्ज किये जाये। प्रकरण की एन्ट्री RCMS (Revenu Case Management System) में भी की जाये। प्रकरण का निराकरण नियत समयसीमा के पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

50. **विगत विधानसभा और लोकसभा उप चुनाव में विधानसभा की मतदाता सूचियों में गम्भीर त्रुटियाँ होने के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए है। भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त क्षेत्रों में विशेष जाँच कर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन यदि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची की जाँच उपरांत कतिपय मतदाताओं के नाम विलोपित करने का निर्णय (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) लिया जाता है तो उस निर्णय के अनुसार सम्बंधित नगरपालिका की मतदाता सूची से भी उक्त मतदाताओं के नाम सीधे सीधे विलोपित कर दिये जाये।**

51. मतदाता सूची के सम्बंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा किया जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजीटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा। दावे आपत्ति के सम्बंध में वेण्डर द्वारा किये गये कार्य की जाँच चैकलिस्ट से अनिवार्य तौर पर कर ली जाये।

52. दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् नगरपालिका की अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

53. प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप **संलग्न–8** में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्केन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

54. आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :–

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	11 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय. 3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर. 4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति). पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	11 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय. 3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर. 4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति). पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं 5. जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु.

55. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेंगी :-

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ।	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

56. **प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**

57. मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के नगरपालिक निगम की एक सी.डी. रहेगी तथा जिले शेष नगरीय निकायों की एक सी.डी. तैयार की जायेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

58. अन्य रूपये 100/- प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

1. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :-

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
- सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
- कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
- शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना।
- स्टेंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
- वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समयसीमा में निराकरण कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिन्टिग सुनिश्चित करना।

61. राजनैतिक दलों की सहभागिता हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–7/2009/तीन/832 दिनांक 27.08.2009 के निर्देशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
62. गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
63. आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी कार्यक्रम अनुसार नगरपालिका की मतदाता सूची दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
64. **मतदाता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के सम्बंध में आयोग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ–52–NN–01/2018/पाँच/234 दिनांक 07.03.2018 में उल्लेखित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये और निर्देशानुसार की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें।**
65. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई–मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–52/NN–01/2018/तीन/240 भोपाल, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
7. पुलिस महानिदेशक,मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय, शिवाजी नगर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
12. आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
13. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
14. उप संचालक (बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
15. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
17. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
18. गार्ड फाईल।

(दीपक सक्सेना)
उप सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

सलग्न-1

Control Table Checklist of Urban Bodies

...का नाम : हरदा नगर पालिका परिषद का नाम : हरदा

	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम
1	जयप्रकाश नारायण वार्ड	1	1 - वनमंडलाधिकारी कार्यालय सामान्य उत्तरी खंड	1	पानी की टंकी क्षैत्र
		2	2 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक शाला पश्चिमि खंड कक्ष01 क्रमांक 1	1	गोलापुरा
2	चंद्रशेखर आजाद वार्ड हरदा	1	3 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 01	1	नई आबादी बेलदार चौक
		2	4 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 02	1	मांग मोहल्ला कहारवाडी गौर कालोनी
3	मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड हरदा	1	5 - खेडीपुरा प्राथ. शाला नवनिर्मित कक्ष	1	बेलदार मोहल्ला रोड क्षैत्र
		2	6 - आंगन बाडी केन्द्र 12 खेडीपुरा	1	गाडरी मंदिर क्षैत्र
4	हनुमान वार्ड	1	7 - खेडीपुरा मा. शाला क. न. 01	1	जोशी मोहल्ला एवं खेडापति मंदिर क्षैत्र
5	नरसिह वार्ड हरदा	1	8 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल उत्तरीय खंड	1	बाजार क्षैत्र
6	शहीद भगतसिंह वार्ड	1	9 - नगरपालिका कार्या.राजस्व हाल दक्षिणी खंड	1	जैन मंदिर क्षैत्र
7	राधा कृष्णन वार्ड हरदा	1	10 - केन्द्रीय विघालय पूर्वी खंड क्रं . 1	1	शीतला माता मंदिर क्षैत्र एवं गजांनद मंदिर क्षैत्र
8	बाबू जगजीवनराम वार्ड हरदा	1	11 - शा. कला एवं महा.विघालय हाल कमरा नं.1	1	खेडीपुरा मजिस्द के पास बेलदार मोहल्ला
		2	12 - शा. कला एवं महा.विघालय कमरा नं.2	1	कसेरा मोहल्ला गोलापुरा के पास गोसाई मंदिर
9	छत्रपति शिवाजी वार्ड	1	13 - नगरपालिका कार्या. योजना शाखा हाल	1	शिवाजी चौक क्षैत्र
10	इंदिरा गांधी वार्ड हरदा	1	14 - केन्द्रीय विघालय पश्चिमी खंड क्रं.2	1	बडा मंदिर क्षैत्र
11	गणेशशंकर विघार्थी वार्ड	1	15 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 1	1	अन्नापुरा मजिस्द क्षैत्र
		2	16 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 2	1	सत्यनारायण मंदिर क्षैत्र
12	व्ही व्ही गिरी वार्ड	1	17 - केन्द्रीय विघालय दक्षिणी खंड कमरा नम्बर 3	1	अली पेथोलाजी एवं तिलक भवन के सामने का क्षैत्र
13	राजीव गांधी वार्ड हरदा	1	18 - नगर पालिका सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 13	1	जत्रापडाव क्षैत्र
14	डॉ भीमराव अम्बेडकर वार्ड	1	19 - शास.प्रा. शाला शुक्रवारा कमरा नं. 2	1	मानपुरा स्कूल के सामने
		2	20 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं. 3	1	मानपुरा स्कूल के पीछे रोड के पार नदी किनारे
15	आचार्य विनोवाभावे वार्ड हरदा	1	21 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं.1	1	राजमा चौक एंव नूरी मस्जिद क्षैत्र
16	सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड हरदा	1	22 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या. पूर्वी खंड	1	सिविल लाईन
		2	23 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या.पश्चिमी खंड	1	प्रताप टाकीज से मुल्ला जी के नाले तक
		3	24 - कार्यापालन यंत्री लो.न.उत्तरी खंड	1	हरदा इन्दौर मेन रोड
17	लाला लाजपतराय वार्ड हरदा	1	25 - अनुविभागीय अधिकारी पचोला उपनहर अनुविभाग कार्यालय जल संसाधन	1	तवा कालोनी व हुडको कालोनी
		2	26 - कार्यपालन यंत्री कार्यालय जल संसाधन	1	दूधडेयरी श्यामा नगर
		3	27 - जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष	1	दूध डेयरी शिक्षक कालोनी
		4	28 - जिला पंचायत कार्यालय कर्मचारी कक्ष दक्षिणी खंड	1	पाठक कालोनी

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम
		5	29 - जिला पंचायत कार्यालय कर्मचारी कक्ष उत्तरी खंड	1	भैरो बाबा मंदिर क्षेत्र
18	डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड हरदा	1	30 - शासकीय पालिटेकनिक कालेज पूर्वी खंड	1	हाउसिंग बोर्ड कालोनी बडी सिंधी कालोनी पॉली टेकनीक कालेज नहर त सी एम ओ क्वाटर्र
		2	31 - शासकीय पालिटेकनिक कालेज पश्चिमी खंड	1	हुडको कालोनी शंकर मंदिर एच.आई.जी एल.आई जी कालोनी वीर तेजा चौक एस. पी बंगला वाली लाईन
19	महाराणा प्रताप वार्ड हरदा	1	32 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक शाला पश्चिमि खंड कक्षा क्रमांक 3	1	शा. चिकित्सा क्षेत्र से मोर्य काम्प. महाराणा प्रताप कालोनी
20	स्वामी विवेकानंद वार्ड हरदा	1	33 - शास.कन्या.उ.मा.शाला	1	मिडिलस्कूल क्षेत्र अवस्थी कालोनी वि. काम्प्लेक्स छोटी सिंधी कालोनी गुलजार भवन
21	संजय वार्ड हरदा	1	34 - आंगनवाडी केन्द्र 41	1	अग्रवाल धर्मशाला एवं पोस्ट आफिस क्षेत्र
		2	35 - उर्दू प्राथ.शाला क.न. 01 दक्षिणी खंड लाल स्कूल	1	भैरु बाबा क्षैत्र बाम्बे रोड
22	जवाहरलाल नेहरू वार्ड हरदा	1	36 - उर्दू प्राथ.शाला क.न.02 पश्चिमी खंड लाल स्कूल	1	कुलहरदा आबकारी के पास क्षेत्र
		2	37 - उर्दू प्राथ.शाला क.न.03 पूर्वी खंड लाल स्कूल	1	कुलहरदा
23	फखरूद्धीन अली अहमद वार्ड हरदा	1	38 - जनपद पंचायत कार्यालय दक्षिणी खंड	1	रेल्वे गेट से पेट्रोल पम्प
		2	39 - जनपद पंचायत कार्यालय उत्तरी खंड	1	रेस्ट हाउस ब्लाक एवं इन्द्र महल ब्लाक
24	सुभाष वार्ड हरदा	1	40 - जनपद शिक्षा केन्द्र पूर्वी खंड	1	इन्द्रलोक कालोनी, ब्रहमलोक कालोनी हरदौल बाबा के सामने से
25	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड हरदा	1	41 - कुल हरदा नवीन मा. शाला कं.न 01	1	टेलीफोन एक्सचेंज आफिस के पास चौबे कालोनी
		2	42 - कुल हरदा नवीन मा. शाला कं.न 02	1	बस स्टैड क्षेत्र
		3	43 - कुल हरदा प्राथमिक शाला उत्तरी खंड	1	चौबे कालोनी
26	देवी अहिल्याबाई वार्ड हरदा	1	44 - डॉ. भीमराव उत्कृष्ट विघा.कं.नं.14	1	सोकल कालोनी
		2	45 - डॉ. भीमराव उत्कृष्ट विघा.कं.नं.15	1	गली न. 1 से 4 तक
27	लोकमान्यतिलक वार्ड हरदा	1	46 - कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का बलराम सभाग्रह पूर्वी भाग	1	सदानी कम्पाउड से जिला कार्यालय तक मराठी शाला क्षैत्र
		2	47 - कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का बलराम सभाग्रह पश्चिमी भाग	1	त्रिमुती विष्णुपुरी कालोनी क्षेत्र
28	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड हरदा	1	48 - रेल्वे इंस्टीटयूट हाल पूर्वी खंड	1	रेल्वे क्वाटर
		2	49 - रेल्वे इंस्टीटयूट हाल पश्चिमी खंड	1	टी. आर.डी. बिल्डिंग क्षेत्र
		3	50 - रेल्वे इंस्टीटयूट हाल उत्तरी खंड	1	सेन्टमेरी स्कूल के पास गली नं 7 जोशी कालोनी पीलाबंगला
		4	51 - मराठी प्राथ. शाला कक्ष क्रमांक 4 कलेक्टेट के पास	1	गली नं 8 से 10 जोशी कालोनी
		5	52 - शास.मा. शाला ग्वाल नगर कक्ष नं.1	1	सत्तार कालोनी एवं शकुर कालोनी तक
		6	53 - शास.मा. शाला ग्वाल नगर कक्ष नं.2	1	शुक्ला कालोनी क्षेत्र श्री कृष्ण यादव छात्रावास
29	डॉ जाकिर हुसैन वार्ड हरदा	1	54 - आंगन बाडी केन्द्र क्रं.63	1	शा. प्रा.शाला से शंकर मंदिर मध्यक्षेत्र तक
		2	55 - आंगन बाडी केन्द्र क्रं.64	1	फाइल वार्ड शंकर मंदिर से पिल्याखाल नाला शहरी क्षैत्र
30	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड हरदा	1	56 - प्राथ.शाला फाइल वार्ड ए.बी.एल. कक्ष	1	बाबू लोहार की दुकान रन्हाई रोड से बंगाली कालोनी कुलहरदा व्यायाम शाला तक
		2	57 - प्राथ.शाला फाइल वार्ड कं. नं.1	1	लोधी मंदिर से पचकुडी मजिस्द शंकर मंदिर तक रेल्वे ब्रिज से टिमरन नर्द पुल तक
31	डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम वार्ड	1	58 - प्राथिमिक शाला बैरागढ	1	बैरागढ बिरजाखेडी दुधकच्छ खुर्द पंपइंजन क्षैत्र

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम
		2	59 - सेटेलाईट शाला प्राथमिक शाला खेडी मेहमुदाबाद	1	भवानी कुंज, कब्रीस्तान एवं मुक्तीधाम,खेडीमहमूदाबाद, गौर कालोनी,सन स्कुल क्षैत्र
32	शहीद दीप सिंह चौहान वार्ड	1	60 - शासकीय प्रथमिक शाला सुदामा नगर	1	एम पी ई बी पुलिस लाईन, श्रीराम शरणम स्वप्रिल बिहार सुदामा नगर क्षैत्र
		2	61 - आगनवाडी केन्द्र क्रमांक 3 वृंदावन नगर	1	पैरासिटी मंगलद्वार,ब्रव्दावन नगर,नर्मदा नगर मेम्बर,कालोनी जयशक्ति होमस,हरीओम नगर,छीपानेररोड टप्प त
33	वीर तेजाजी वार्ड	1	62 - शासकीय प्राथमिक शाला हरदा खुर्द	1	हरदा खुर्द
34	वीर दुर्गा दास राठौर वार्ड	1	63 - शासकीय प्राथमिक शाला मराठी कक्ष क्रमांक 2	1	ग्वाल नगर क्षैत्र
		2	64 - प्रधान पाठक कक्ष शासकीय प्राथमिक मराठी शाला	1	विकास नगर, छोटी नहर बडी नहर, आनंद नगर,मातुश्री नगर क्षैत्र
		3	65 - आगनवाडी केन्द्र क्रमांक 55 ग्वाल नगर	1	श्री नगर, पृज्ञा नगर, रामानंद नगर क्षैत्र
		4	66 - कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय हरदा	1	मदीना कालोनी,इंन्डस्टीज एरिया,शर्मा कालोनी क्षैत्र
35	वीर सावरकर वार्ड	1	67 - सांमुदायिक मांगलिक भवन उडा	1	उडा क्षैत्र
		2	68 - शासकीय प्राथमिक शाला उडा	1	उडा एवं पिल्याखाल क्षैत्र

Total Wards : 35 Total Parts : 68 Total Sections : 68

संलग्न - 2.

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा | भाग संख्या : 1 | शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U/R	वार्ड नंबर	भाग संख्या	मोहल्ला क्र.
									पंचायत क्र व नाम	वार्ड नंबर	
अनुभाग : 1-साल्याख़ेड़ी , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
83	5	गोपाल भाबरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बूद्या	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुध्दा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556					
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627					

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर / पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या / वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र.
अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
469	211	सकाराम	पिता धुधर सिंह	M	22	WMQ1100593					
470	211	कला बाई	पति विक्रम	F	21	WMQ1100585					
471	212	सोनू	पिता माल सिंह	F	22	WMQ1100668					
862	263/1	दुर्गा	पति भारत	F	25	WMQ1195130					
865	3क	राकेश पटेल	पिता रणजीत	M	18	WMQ1195163					
866	1क	भावना	पति रामसिंह	F	22	WMQ1195171					
867	1	धनसिंह	पिता प्रताप सिंह	M	19	WMQ1195189					
868	3 क	गणेश	पिता नरसिंह	M	18	WMQ1200724					
869	10	विजय	पिता सुरेश	M	20	WMQ1200765					
870	13	बबलू	पिता धनसिंग	M	20	WMQ1200773					
871	14	अजय	पिता सुंदरलाल	M	22	WMQ1200781					

शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर / पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या / वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र.
अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
872	20	अजय	पिता सिकदार	M	18	WMQ1200807					
873	30 क	मंजुला	पति श्यामू	F	22	WMQ1201086					
874	35 क	उमेश	पिता रामाधार	M	19	WMQ1201094					
875	40 क	किशन	पिता दुर्जनसिंह	M	19	WMQ1201110					
876	24	बीना	पिता रतनसिंह	F	18	WMQ1201136					
877	20	भूरीबाई	पति महेंद्र	F	20	WMQ1201300					
878	20	संगीता	पति अजय	F	20	WMQ1201334					
879	44	मान सिंह	पिता गुलाब सिंह	M	19	WMQ1215680					
880	16	रीना	पति राकेश	F	18	WMQ1215698					
881	01	अनिता	पति गोविन्द	F	23	WMQ1215706					

अनुभाग : 2-रामपुरा , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र
अनुभाग : 2-रामपुरा , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
553	12	गीता	पति हीरालाल	F	23	WMQ1100650					
554	12	अनिता	पति नरसिंह	F	20	WMQ1107564					
864	11	शर्मिला	पति अर्जुन	F	19	WMQ1195155					
अनुभाग : 3-जोगाकला वनग्राम , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
621	05/1	सीता	पति इन्द्रलाल	F	20	WMQ1100601					
709	14	ब्रिजेश	पिता सुन्दरलाल	M	28	WMQ1100643					
735	17	निशा	पति भगतराम	F	22	WMQ1100635					
863	15/2	संजु कनोजे	पिता लालु कनोजे	M	18	WMQ1195148					

कुल संख्या :	38

संलग्न - 3.

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 5 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण					नगरीय निकाय में विवरण							
निर्वाचक का नाम / ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम / लिंग	आयु	विलोपन का कारण	फोटो	मतदाता क्र. / ईपिक संख्या	निर्वाचक का नाम	लिंग	पिता/पति का नाम / आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√ / X)
शिवप्रसाद / BYS0107516	पिता नाथूराम / M	82	Expired		125 / BYS0107516	शिवप्रसाद	M	पिता नाथूराम / 81	44		☐
मुर्तुजा खां / BYS0109827	पिता बाबू खां / M	73	Expired		443 / BYS0109827	मुर्तुजा खां	M	पिता बाबू खां / 72	125/क		☐
माणकचंद / BYS0110445	पिता जैनारायण / M	81	Expired		577 / BYS0110445	माणकचंद	M	पिता जैनारायण / 80	174		☐

कुल संख्या :	3

संलग्न - 4

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण: निर्वाचक का नाम / ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	नगरीय निकाय में विवरण: मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम / ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√ / X)
अंगूरी MP/28/227/042086	पति बद्रीप्रसाद	F	49			84	अंगूरी MP/28/227/042086	पति बद्रीप्रसाद	F	48	14		☐
विमला MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल	F	56			87	विमला MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल	F	55	16		☐
सावित्री MP/28/227/042268	पति विजय	F	49			93	सावित्री MP/28/227/042268	पति विजय	F	48	17		☐
सत्यनारायण MP/28/227/042137	पिता भीकू	M	56			292	सत्यनारायण MP/28/227/042137	पिता भीकू	M	55	71		☐
प्रभा MP/28/227/042338	पति बालाराम	F	51			498	प्रभा MP/28/227/042338	पति बालाराम	F	50	125		☐
अशोक BYS4680369	पिता मुख्तयार	M	51			581	अशोक BYS4680369	पिता मुख्तयार	M	50	146		☐
चंद्रावती BYS4680344	पति अर्शोक	F	46			582	चंद्रावती BYS4680344	पति अर्शोक	F	45	146		☐
अरविन्द WMQ0789255	पिता तुलसीराम	M	22			624	अरविन्द WMQ0789255	पिता तुलसीराम	M	21	150द		☐
जगदीश BYS4660791	पिता किसन	M	49			733	जगदीश BYS4660791	पिता किसन	M	48	177		☐
पार्वती BYS4457354	पति जगदीश	F	44			734	पार्वती BYS4457354	पति जगदीश	F	43	177		☐

कुल संख्या :	10

संलग्न–5

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण –पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4 के तहत जिले के समस्त नगरीय निकायों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2018 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक...................... को किया गया है।

दिनांक–

स्थान–

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

जिला–

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम नगरीय निकाय की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

संलग्न 6

जांच सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 2 , भाग संख्या : 1

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
31	4/1	शकीला खान	पति अजहर	F	39	WMQ0458174	
89	7ग	मेहनाज खान	पिता नवाब खान	F	28	WMQ5966122	
96	7घ	अमरीन	पिता रहमान	F	24	WMQ0369207	
97	7घ	नोरीन	पिता रहमान खॉ	F	20	WMQ0885392	
143	11	शेखजहूर	पिता शेखगफूर	M	45	LWH0266387	
145	11	रजिया	पति शेख जहुर	F	35	WMQ0220020	
152	12	हीना	पिता वहीद	F	26	WMQ0369348	
153	12	गजाला	पिता जुम्मन	F	24	WMQ0369314	
195	15	मो आमीन	पिता शेख शब्बीर	M	31	WMQ0516773	
214	18	मो.अफसर	पिता रज्जब	M	39	MP/28/227/051245	
216	18	मो अनवर	पिता मो रज्जब	M	37	WMQ0220152	
230	20	नोशीन	पिता तौफीक मलिक	F	26	WMQ0220160	
240	21क	अखलाक खान	पिता सगीर खान	M	30	WMQ0719732	
247	21ख	शेख मेहमुद	पिता शेख शेरू	M	34	BYS4561684	
248	21ख	इरफान खान	पिता नवाब खान	M	31	WMQ0839035	

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फ…
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
249	21ख	अफसाना बी	पति इरफान खान	F	27	WMQ0839092	
259	21घ/2	याकूब खां	पिता बाबू खां	M	55	WMQ0694687	
291	23/क	असफाकखां	पिता रजाकखां	M	38	MP/28/227/051338	
311	24 ए	दुर्गा	पति रवि	F	23	WMQ0517334	
330	24क/4	आस्मीन	पिता सत्तार खाँ	F	22	WMQ0739045	
370	24छ/3	समसुन	पिता शफी मोहम्मद	F	24	WMQ0517235	
388	24ज/1	परवीन	पिता शरीफ खान	F	27	WMQ0220368	
398	24-ज/3	रफीकखान	पिता करीमखान	M	33	WMQ0080879	
401	24ज/5	हकीमुद्दीन बोहरा	पिता सुल्तान अली	M	70	WMQ0694646	
402	24ज/5	फातिमा बोहरा	पति हकीमुद्दीन बोहरा	F	57	WMQ0694711	
405	24ज/5	खुजेमा बोहरा	पिता हकीमुद्दीन	M	26	WMQ0694729	
426	24ण	रूखसार बानो	पिता इकबाल खां	F	26	WMQ0849828	
471	24भ	शबाना बी	पति सुभान खान	F	29	WMQ0369462	
491	24 ल	शीला	पति गौरी शंकर	F	30	WMQ0304253	
492	24ल	दीपक	पिता कुंजीलाल	M	51	BYS0724583	
493	24ल	समोता	पति दीपक	F	47	BYS0087684	

अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
494	24ल	राकेश	पिता दीपक	M	26	WMQ5966452	
524	24स/6	शबानाबी	पिता मो.अख्तर	F	31	WMQ0080929	
560	24/बी	नौशाद खान	पिता लियाकत खान	F	28	WMQ0790105	
575	24एफ	अख्तरी बी	पति अ सत्तार खां	F	64	WMQ5966528	
596	24जी/6	आबिद खान	पिता जहीर खान	M	31	WMQ0369520	
630	24जी/19	हैदर अली	पिता बली मोहम्मद	M	27	WMQ0739409	
631	24जी/19	दौलत बानो	पति हैदर अली	F	24	WMQ0739425	
639	24जी/20	निशा धनगर	पिता जगदीश धनगर	F	22	WMQ0904383	
648	24जी/22	मोहम्मद कामिल	पिता लिल्लाही	M	26	WMQ0719633	
649	24जी/22	माहेनिगार	पति मोहम्मद कामिल	F	22	WMQ0719641	
661	24 आई	शबनम खान	पिता रज्जाक खान	F	23	WMQ0517102	
662	24आई	शकीला बी	पति रज्ज़ाक	F	48	BYS0724419	
675	24के	शीनम अली	पिता अनंवर अली	F	26	WMQ5966593	
724	25/1	नसरीन बानो	पिता इकबाल खान	F	28	WMQ0904391	
729	27/1	शाहिब खां	पिता अनवर खां	M	30	WMQ0849836	
746	35	गीता बाई	पति मदनलाल	F	63	BYS0088047	

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
764	36	सब्बो बी	पति शहराज शाह	F	32	BYS4487732	
785	37क	सरला	पति अशोकराव	F	45	MP/28/227/051160	
787	37क	नरेन्द्र	पिता मोहनलाल	M	33	BYS4658266	
901	57	जमीलखां	पिता मूनीरखां	M	44	MP/28/227/051221	
931	62	कृष्ण कुमार	पिता लक्ष्मणप्रसाद	M	38	BYS0096321	
933	62	रानी	पिता लक्ष्मण प्रसाद	F	33	WMQ5966981	
935	62	लाली	पिता लक्ष्मण	F	31	BYS4274924	
980	70	कौशल्या	पति भिकूलाल	F	64	BYS4689568	
1017	78	अनिल	पिता मूलचंद	M	38	BYS4275087	
1018	78	लक्ष्मीबाई	पति अनिल	F	33	BYS4444691	

दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में विधानसभा की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची की तुलना में नगरीय निकायों में बढ़े हुए मतदाताओं की संख्या :	57

संलग्न - 7

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की

एक ही नगरीय निकाय में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल ाता : 40)

नगर पालिका परिषद - हरदा

Date : 19/02

सत्यापन मार्किंग (√)

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
22	2	178	136/4	मो इलियास	स्माईल खां	M	44	BYS0220327			
30	2	322	97	मोहइलियास	स्माईलखां	M	44	BYS0220327			
31	2	231	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998			
32	1	310	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998			
24	1	146	17	संजू	बृजेश	F	48	BYS4800066			
24	1	164	18क	रविन्द्र कुमार	विजयश्याम	M	26	BYS4800066			
22	2	179	136/4	नजमुन निशा	इलियास	F	40	WMQ0392381			
30	2	323	97	नजमुन निशा	इलियास	F	40	WMQ0392381			
16	3	515	203 क	रामकृष्ण कोगे	सुरेश कुमार	M	24	WMQ0528414			
31	2	236	203 क	रामकृष्ण कोगे	सुरेश कुमार	M	24	WMQ0528414			

नगर पालिका परिषद - हरदा

Date : 19/02

सत्यापन मार्किंग (✓)

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची रखा जाना है
31	2	235	203 क	महेन्द्र	सुरेश कुमार	M	25	WMQ0528422			
16	3	514	203 क	महेन्द्र	सुरेश कुमार	M	25	WMQ0528422			
18	1	1095	793/ज्ञ	गौरव	धन्नालाल	M	21	WMQ0798835			
18	1	1097	793/ज्ञ	गौरव	धन्नालाल	M	21	WMQ0798835			
18	1	1094	793/ज्ञ	धन्नालाल	किशारीलाल	M	46	WMQ0798850			
18	1	1096	793/ज्ञ	धन्नालाल घाघरे	किशोरीलाल घाघरे	M	46	WMQ0798850			
32	1	620	211क	शिव नारायण	राधेश्याम	M	50	WMQ0839621			
16	2	872	211क	शिव नारायण	राधेश्याम	M	50	WMQ0839621			
16	2	873	211क	कृष्णा बाई	शिवनारायण	F	45	WMQ0839639			
32	1	621	211क	कृष्णा बाई	शिवनारायण	F	45	WMQ0839639			

...पालिका परिषद - हरदा

Date : 19/02/

सत्यापन मार्किंग (√)

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या		मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
18	1	1057	793/प/1	नंदा अग्रवाल	निर्मल अग्रवाल	F	55	WMQ0875500			
18	1	1064	793प/1	नंदा अग्रवाल	निर्मल	F	55	WMQ0875500			
18	1	1058	793/प/1	श्रीकान्त अग्रवाल	रामनारायण	M	54	WMQ0875518			
18	1	1065	793प/1	श्रीकांत	रामनारायण	M	54	WMQ0875518			
18	1	1061	793/प/1	शिरीष अग्रवाल	श्रीकान्त अग्रवाल	M	26	WMQ0875526			
18	1	1068	793प/1	शिरीष	श्रीकांत	M	26	WMQ0875526			
18	1	1067	793प/1	निधि अग्रवाल	निर्मल	F	29	WMQ0875534			
18	1	1060	793/प/1	निधि अग्रवाल	निर्मल अग्रवाल	F	29	WMQ0875534			
18	1	1059	793/प/1	रजनी अग्रवाल	श्रीकान्त अग्रवाल	F	45	WMQ0875609			
18	1	1066	793प/1	रजनी अग्रवाल	श्रीकांत अग्रवाल	F	45	WMQ0875609			

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	टो	सत्यापन मार्किंग (मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची रखा जाना
18	1	1063	793प/1	निर्मल अग्रवाल	रामनारायण	M	60	WMQ0875674			
18	1	1056	793/प/1	निर्मल अग्रवाल	रामनाराण अग्रवाल	M	60	WMQ0875674			
23	1	646	149ख	सलीम	रियाज खान	M	54	WMQ0945964			
23	2	23	149ख	शेख यूनूस	शेख यूसूफ	M	55	WMQ0945964			
23	1	514	121क	आमिर	अब्दुल कय्यूम	M	43	WMQ0983114			
23	1	507	121क	आमिर	अब्दुल कय्युम	M	43	WMQ0983114			
23	1	509	121क	शैहला	आमिर	F	38	WMQ0983122			
23	1	515	121क	शैहला	आमिर	F	38	WMQ0983122			
23	1	503	121क	मन्जूर बेगम	अबदुल कय्यूम	F	67	WMQ0983148			
23	1	513	121क	मन्जूर बेगम	अब्दुल कय्यूम	F	77	WMQ0983148			

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक नगरीय निकायों में) (कुल मतदाता : 2)

जिला - हरदा

सत्यापन मार्किंग (√)

नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम	क्रम सख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
न.प. टिमरनी	15	1	खंगारपुरा	738	24	धापूबाई	पति लालसिह	F	52	MP/28/227/297502		☐	☐
न.प. खिरकिया	1	1	किसान मोहल्ला	2	1	लक्ष्मी	पति धनजी	F	70	MP/28/227/297502		☐	☐

संलग्न–8

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण –पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के तहत जिले के समस्त नगरीय निकायों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2018 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक...................... को किया गया है।

दिनांक–

स्थान–

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

जिला–